रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2001/कार्तिक 21, 1923
No. 302] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 2001/KARTIKA 21, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2001

अंतिम जांच परिणाम

विषय: जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलोनीट्राईल बुटाडिन रबड़ (एनबीआर) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

सं. 32/1/2000-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथ क्षति-निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. प्रकिया

1. प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद नीचे वर्णित प्रक्रिया का पाल किया गया है:

(क) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) दिनांक 19 अक्तूबर, 1995 के अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना सं0 25/एडीडी/94 तथा दिनांक 1 अप्रैल, 1999 की परवर्ती समीक्षा की अधिसूचना सं0 38/6/97-एडीडी के अनुसरण में जापान के मूल क अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलोनीट्राइल बुटाडिन रबड़ (एनबीआर) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्यायक समीक्षा शुरु की थी। यह निर्णायक समीक्षा दिनांक 24 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना सं0 32/1/2000-डीजीएडी के द्वारा शुरु की गई थी।

(ख) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलोनीट्राईल बुटाडिन रबड़ (एनबीआर) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के बारे में दिनांक 24 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना सं0 32/1/2000-डीजीएडी के द्वारा इस निर्णायक समीक्षा की शुरूआत को अधिसूचित किया और ज्ञात हितबद्ध पक्षों को प्रारंभिक अधिसूचना की एक प्रति प्रेषित की और उन्हें उक्त निष्कर्षों पर अपने विचार, यदि कोई हों, इस पत्र के 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।

(ग) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों और उद्योग संघों (जिनके ब्यौरे मै0 गुजरात अपार पोलिमर्स लि0, जो इस समय अपार इंडस्ट्रीज लि0 के नाम से जानी जाती है, जो मूल जांचों में याचिकाकर्त्ता है) को भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार लिखित में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया ।

(घ) प्राधिकारी ने भारत में एनबीआर के सभी ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं (जिनके ब्यौरे मै0 गुजरात अपार पोलिमर्स लि0, जो इस समय अपार इंडस्ट्रीज लि0 के नाम से जानी जाती है और जो मूल जांचों में याचिकाकर्ता है) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें इस पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका प्रदान किया ।

(ड.) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार जापान में एन बी आर के निम्निलिखित विनिर्माताओं को प्रश्नावली भेजी, हालांकि इन कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया:-

- मै0 निप्पन जिओन कं0 लि0
  फुरुकावा सोगो बिल्डिंग
  6-1 मारुनोची 2-कोम
  चियोदा-कू . टोक्यो, जापान
- मै0 जे.एस.आर. कारपोरेशन
  2-11-24-त्सुकजी
  चुओ-कू ., टोक्यो 104, जापान

(च)　समीक्षा शुरु करने के बारे मे नई दिल्ली स्थित जापान के दूतावास को नियम 6(2) के अनुसार इस अनुरोध के साथ सूचना दी गई थी कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर भेजने की सलाह दें। निर्यातकों को भेजे गए पत्र की प्रति तथा प्रश्नावली की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ दूतावास को भी भेजी गई। तथापि किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया।

(छ)　नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में एनबी आर के निम्नलिखित आयातकों और/या उपभोक्ताओं को एक प्रश्नावली भेजी गई थीः

- श्रेयांशी इम्पैक्स कार्पो0,
  बम्बई
- सिज्जिल इंडिया लि0,
  मद्रास 600002
- सीबी इंडिया प्रा0 लि0,
  मद्रास 600042
- सीमेंस ऑटोमोटिव्स,
  मद्रास,
  एमजीआर जिला
- सिएरा ट्रेडिंग प्रा0 लि0
  मद्रास 600044
- साइमा इलास्टोमर्स,
  बंगलौर 560040
- सिनार मास पल्प 7 पेपर,
  नई दिल्ली-110048
- समीदर्स ओएसिस प्रा0 लि0
  मद्रास

- सोएक्स फ्लेरा प्रा0 लि0,
  बम्बई
- सोनल रोप्स प्रा0 लि0,
  बम्बई-400058
- सदर्न ग्रुप इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0
  मद्रास
- एस.आर.एफ. लि0,
  मद्रास
- स्टार पोलिमर्स,
  बंगलौर 560058
- स्टील एंड लोजीस्टिक सैंटर,
  बंगलौर
- स्टरलाईट इंडस्ट्रीज लि0,
  बम्बई 400021
- स्ट्रोमटैक ऑटोमेशन,
  मद्रास 600032
- स्ट्रक्चरल इंडिया प्रा0 लि0,
  गोवा
- सूमी मदरसन,
  मद्रास 600041
- सुंदरम क्लेटन लि0,
  मद्रास 600006
- सुंदरम इंडस्ट्रीज लि0,
  मद्रास

- सनफूड कारपोरेशन

  कोल्लाम
- सुपर ऑयल सील्स लि0,

  नई दिल्ली
- सुपर सील्स इंडिया लि0

  फरीदाबाद
- सुपरफिल प्रोडक्ट्स लि0

  मद्रास
- सुप्रीम इंडस्ट्रीज लि0,

  बम्बई
- सुप्रीम पेट्रोकैम लि0,

  बम्बई
- सुरेन्द्र सेल्स कारपोरेशन,

  बम्बई
- सिंथेटिक पैकर्स प्रा0 लि0,

  बंगलौर
- टी अब्दुल वाहिद एंड कं0,

  मद्रास
- तमिलनाडु,

  मद्रास
- टाटा कैमिकल्स लि0,

  बम्बई
- टाटा इंटरनेशनल लि0

  बम्बई

- टैक्सिम इंटरनेशनल,

  मद्रास

- टैक्सोन यू के लि0,

  मद्रास

- टैक्सटूल कं0 लि0,

  कोयम्बटूर

- दी डेलीठांथी,

  मद्रास

- थर्मो किंग इंडिया प्रा0 लि0

  पांडीचेरी

- थामसन प्रैस इंडिया लि0

  फरीदाबाद

- टाईम पैकेजिंग लि0,

  बम्बई

- टिन्ना ओवरसीज. लि0,

  नई दिल्ली

- टिप्को इंडस्ट्रीज लि0,

  बम्बई

- टैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लि0,

  मद्रास

- ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स लि0,

- बम्बई

- टीटीके मयस्क मैडिकल लि0,

  औरंगाबाद

- यूनीफलैक्स केबल्स लि0

  बम्बई

- श्रेयांशी इम्पैक्स कारपोरेशन,

  बम्बई

(ज) प्राधिकारी ने 24.9.2001 को सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रुप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । मौखिक रुप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाली सभी पार्टियों को सार्वजनिक सुनवाई के दौरान मौखिक रुप से व्यक्त कए गए विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध दिया । पार्टियों से प्रतिपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने और उसका खंडन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी । प्राधिकारी ने 8.10.2001 को हितबद्ध पक्षों को अलग-अलग सुनवाई की अनुमति भी दी ।

(झ) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों तथा दिए गए तर्कों के अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई थी ;

(ञ) याचिकाकर्त्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों पर इन निष्कर्षों में विधिवत् विचार किया गया है ;

(ट) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित अनवार्य तथ्यों/आधार का खुलासा ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष कर दिया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है ;

७। इस अधिसूचना मे · चिह्न गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को प्रदर्शित करता है और नियमानुसार प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय ही माना गया है ।

(ख) विचाराधीन उत्पाद

2. जांचाधीन उत्पाद जापान मूल क अथवा वहॉ से निर्यातित एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर) ह जा सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-I के सीमाशुल्क शीर्ष सं0 4002.59 और भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु वर्णन एवं कोडिंग प्रणाली पर आधारित) क अतर्गत स0 4002.59 म वर्गीकृत है ।

तथापि यह वर्गीकरा केवल संकेतात्मक ह और किसी भी प्रकार वर्तमान समीक्षा जांच क दायरे पर बाध्यकारी नही है ।

प्राधिकारी पूर्ववर्ती अंतिम और समीक्षा निष्कर्षो मे यथा विचारित विचाराधीन उत्पाद क संबध म निष्कर्षो की पुष्टि करते है ।

ग. समान वस्तुएं

3 पाटनरोधी नियमावली क नियम 2(घ) म यह स्पष्ट किया गया है कि "समान वस्तुओं " का तात्पर्य एक एसी वस्तु स है जो जॉच की जा रही वस्तु से हर दृष्टिकोण म समान अथवा समरूप है अथवा एसी वस्तु क अभाव म अन्य एसी वस्तु स तात्पर्य है जिसमे जांच की जा रही वस्तुओं स मिलत-जुलत सभी गुण मौजूद है ।

नियम 2(घ) क अर्थ क भीतर घरलू उद्योग द्वारा उत्पादित एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर) को जापान स आयातित माल क समान वस्तु माना जा रहा ह । समान वस्तु क आधार क बार म किसी हितबद्ध पक्ष न कोई तर्क नही दिया ह ।

इस तर्क पर कोई विवाद नही है कि घरलू उद्योग द्वारा उत्पादित एनबीआर म आयातित उत्पाद से काफी मिलती-जुलती विशेषताएं हे और वह संबद्ध देश से आयातित एनबीआर द्वारा वाणिज्यिक और तकनीकी दोनो रूप से प्रतिस्थापनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एनबीआर का नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर जापान से निर्यातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

उपर्युक्त क परिप्रेक्ष्य मे, प्राधिकारी समान वस्तु संबंधी पूर्ववर्ती अतिम जांच और समीक्षा जांच क निष्कर्षो की पुष्टि करते हैं।

(घ) घरेलू उद्योग

4. मैसर्स गुजरात अपार पालिमर्स लि0, मार्कर चेम्बर्स-III, प्रथम तल, जमनालाल बजाज राड, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई 400021 (जिस अब अपार इडस्ट्रीज लि0, अपार आऊस, कारपोरेट पार्क, सिआन-ट्रामब राड, चेम्बर, मुम्बई-400071 क नाम स जाना जाता है) का पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं म घरलू उद्याग माना गया था।

घरलू उद्याग की स्थिति क बार मं किसी हितबद्ध पक्ष न काई तर्क नही दिया है। अत: याचिकाकर्त्ता कम्पनी का उत्पादन घरेलू उत्पादन का 100% उत्पादन बनता है और नियमानुसार याचिका दायर करन क लिए उसके पास अपेक्षित आधार है।

(ड.) जांच की अवधि

5 वर्तमान निर्णायक समीक्षा के प्रयाजनार्थ जाच की अवधि 1 अप्रैल, 1999 से 30 जून, 2000 (15 महीन) तक की है।

(च) पाटन

उदगम वाले देशों में संबद्ध वस्तु के निर्यातक/उत्पादक

6 सबद्ध दश में एनबीआर के किसी भी निर्यातक/आयातक न संगत सूचना हतु प्राधिकारी क अनुरोध का जवाब नहीं दिया है।

7. **सामान्य मूल्य**

किसी भी निर्यातक/आयातक ने प्राधिकारी द्वारा जारी की गयी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है अथवा पाटन के निर्धारण से संगत कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है । याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि जापान से पाटन जारी है और जापान में एनबीआर के सामान्य मूल्य का दावा जापान कैमिकल वीक में प्रकाशित कीमतों के आधार पर किया है । निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी जापान कैमिकल वीक में निहित सूचना के आधार पर जापान में एनबीआर के सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित समझते हैं । जापान कैमिकल वीक (अप्रैल/मई, 2000) के उद्धरण के अनुसार, जापान में औसत घरलू कीमत यन/किग्रा0 (औसत) है 1999-2000 में यन/डालर की विनिमय दर मानते हुए, कीमत अमरीकी डालर/मी0टन बनती है

8. **निर्यात कीमत**

किसी भी निर्यातक/आयातक ने प्राधिकारी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है अतः प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत अमरीकी डालर/मी0टन (सीआईएफ) है जिस पर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विश्वास किया गया है । कारखानागत कीमत जो कि अमरीकी डालर/मी0टन है, निकालने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार समुद्री भाड़, समुद्री बीमा, कमीशन, स्वदेशी परिवहन और पत्तन हैंडलिंग तथा पत्तन प्रभारों के कारण समायोजन किया गया है।

9. **पाटन मार्जिन**

प्राधिकारी के विचार

प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I में यथानिर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों को अंगीकार करने की सुसंगत प्रथा का अनुसरण किया था । पाटन मार्जिन का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 6

मे निर्धारित सिद्धांत के अनुसरण में निर्यात कीमत की उचित तुलना सामान्य मूल्य के साथ करने के आधार पर किया गया है। यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर अर्थात कारखानागत स्तर पर की गई है। प्राधिकारी ने किसी भी निर्यातक से सहयोग न मिलने की स्थिति में जापान के सभी निर्यातकों के लिए साझा पाटन मार्जिन निकाला है। उन परिकलनों के आधार पर पाटन मार्जिन निवल निर्यात कीमत का 151.02% निकलता है।

छ. **क्षति**

10. **घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया तर्क**

(क) **आयातों की मात्रा के बारे में**- डीजीसीआईएण्ड एस के आयात संबंधी आंकड़ों में निर्यात कीमत के बारे में उचित सूचना प्रदर्शितनहीं की जाती है। पीपीआर द्वारा दी गई सूचना में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि आयात कीमत डीजीसीआईएण्ड एस द्वारा प्रदर्शित औसत आयात कीमत की तुलना में बहुत कम है। डीजीसीआईएण्ड एस द्वारा दी गई माह-वार, पत्तन-वार सूचना में कई असंगत प्रविष्टियां दर्शायी गई हैं। एनबीआर का आयात इतनी अधिक कीमतों पर नहीं किया जा सकता है। असंगत सौदों को हटाने के पश्चात डीजीसीआईएण्ड एस की कीमत पीपीआर कीमतों के काफी करीब हो जाती है। जापान सरकार द्वारा जारी किए गए निर्यात संबंधी आंकड़ों में जो आयात कीमत दर्शायी गई है व (असंगत सौदों को समाप्त करने के पश्चात) पीपीआर और डीजीसीआईएण्ड एस द्वारा प्रदर्शित आयात कीमत के काफी करीब है। उक्त निर्यात आंकड़ों में प्रदर्शित निर्यातों की मात्रा डीजीसीआईएण्ड एस और पीपीआर द्वारा प्रदर्शित आयातों की मात्रा की तुलना से काफी अधिक है। एनबीआर का अधिकांश आयात अन्य उत्पादों जैसे बुटाडीन रबड़, क्लोराप्रीन रबड़ उत्पाद के लिए आशयित सीमाशुल्क वर्गीकरण के तहत निकासी के जरिए किया है। एनबीआर के लिए आशयित सीमाशुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत एनबीआर से भिन्न उत्पादों का काफी आयात हुआ है।

(ख) घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमता है

(ग) अभी तक अधिकतम स्थापित माग 10,000/मी0टन है जिसमे लगभग 3000-4000/मी0टन का शुल्क-मुक्त आयात शामिल है । घरलू उद्योग के लिए उपलब्ध मांग 6000-8000/मी0टन के आस-पास है जिसकी पूर्ति घरलू उद्योग द्वारा की जा सकती है

(घ) पाटनरोधी शुल्को की बदौलत घरलू उद्योग अपना कार्य कर पा रहा है अन्यथा उसे हो रहे भारी घाटे की वजह से अपना काम बन्द करना पड़ता

(ङ) घरलू उद्योग ने लागत प्रतिस्पर्धी बनने की कोशिश की है और ग्राहको की संतुष्टि में सुधार करने का भी प्रयास किया है । इस बारे में घरलू उद्योग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) घरलू उद्योग कम्पनी के ब्याज का भार कम करने हेतु संस्थानो और बैंको और अन्य हितधारियों के साथ वित्तीय पुनर्गठन करने में सक्षम था ;

(ii) वे एनबीआर के कई ग्रेड निकालने में सक्षम थे ताकि ग्राहको की सुतुष्टि में इजाफा किया जा सके । उन्होंने अपने तकनीकी प्रयासो के जरिए उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न एनबीआर के गुणो मे सुधार किया ताकि ग्राहको के लिए मूल्य में वृद्धि की जा सके उन्होंने अपने प्रयासो के जरिए आगे और नए ग्रेडो की शुरूआत भी की है ताकि कुछेक विशिष्ट अतिम अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके

(iii) घरलू उद्योग को हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र का दर्जा प्रदान किया गया है और यदि निधि उपलब्ध हो तो वे अपने अनुसंधान एवं विकास के प्रयासो में भारी निवेश कर सकते हैं

(iv) पिछले कुछ वर्षो मे घरेलू उद्योग ने अपनी विनिर्माण लागत में कमी लाने के लिए कई प्रचलनात्मक सुधार किए हैं उन्होंने अपने न्यूनतम समय और अधिकतम समय में कमी करने के प्रयास किए हैं । उन्होंने अन्य बुटाडीन उपभोक्ताओं के साथ सामूहिक-खरीद के जरिए सार्थक वार्ताओं द्वारा मोनोमर की अपनी लागत में कमी भी की है । इससे वे अधिक स्पॉट रेट को घटाकर उसे कम संविदा दर पर लाने में सफल रहे हैं । उन्होंने आयातित कीमती सहायक रसायनो का प्रतिस्थापन गुणवत्ता के स्तर में कमी किए बिना

सरस्त रसायनी द्वारा किया है । मुद्रास्फीति और उपयोगिता दरों म पर्याप्त वृद्धि होने क बावजूद व अभी भी उपरोक्त लागत म कटौती करने के उपायो के जरिए परिवर्तन लागत का नियंत्रित किए हुए है ।

(v) घरलू उद्योग ने अपनी क्षमता मं वृद्धि करन क लिए और लागतो म कमी करन हेतु आग और निवेश किया है । यह निवेश पुनगठन के पश्चात वित्तीय संस्थानो से नए ऋणों क जरिए किया गया था । व दो परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं सतत पोलिमराइजशन प्रोजक्ट और को-जनरेशन प्रोजक्ट जिनके परिणामस्वरूप क्षमता म वृद्धि और लागत मे कमी आई है

लागत म कमी लाने के लिए किए गए इन सभी प्रयासों के बावजूद घरेलू उद्योग अपन शेयर धारको का समुचित प्रतिफल प्रदान नहीं कर पाया है । वल्कि वे बाजार मे पाटन के कारण घाटा उठा रहे है

11. <u>आयातकों/उपयोक्ताओं द्वारा दिए गए तर्क</u>

किसी भी आयातक /निर्यातक न प्राधिकारी द्वारा भजी गई प्रश्नावली का उत्तर नही दिया है ।

<u>बम्बई केमिकल एण्ड रबड़ प्रोडक्ट्स द्वारा किए गए अनुरोध</u>

1 मै0 बम्बइ केमिकल एण्ड रबड़ प्राडक्ट्स न मौखिक सुनवाई के अनुसरण मे लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं । उन्होंन अनुरोध किया ह कि जएसआर से आयातित एनबीआर पर पाटनरोधी शुल्क का समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग को अब कोई क्षति नही हो रही है । पांच वर्ष की अधिकतम अवधि 14 10.2000 को समाप्त हो गई थी और घरलू उद्योग का पांच वर्ष की सामान्य अवधि क अलावा एक और वर्ष क लिए अतिरिक्त सरक्षण दिया गया था ।

2 जएसआर क एनबीआर की पहुंच लागत म अप्पर की कीमतो की तुलना में भारी वृद्धि हुई है । अपार क एनबीआर की कीमतें जएसआर क एनबीआर की पहुंच लागत स काफी अधिक ह । याचिकाकर्त्ता की बिक्री कीमत और जापानी आयातित सामग्री की कीमत क बीच अन्तर इतना अधिक है कि यह बाजार वाणिज्यिक रूप स जापानी आयातो क पहुंच स बाहर है । भावी क्षति का कारण जापान का एनबीआर प्रतीत नही होता है और प्राधिकारी का इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अन्य स्रोतो से हुए आयाता से याचिकाकर्त्ता का क्षति पहुंच रही है।

3. यदि आयातित जापानी एनबीआर याचिकाकर्त्ता की हुई क्षति का कारण है तो पहुँच कीमत और याचिकाकर्त्ता की बिक्री कीमत के बीच इतना बड़ा अन्तर क्या है ? आयात शुल्कों में कमी (बूटाडीन और एक्रीलोनाईट्राइल जो कि एनबीआर के उत्पादन की प्रमुख लागत के भागस्वरूप एक प्रमुख कच्ची सामग्री है, पर 1993-94 में 85% से घटा कर इस समय 15%) के कारण अपार कीमतों को कमोबेश जापानी एनबीआर की कीमतों के बराबर वसूल करने के लिए स्वतन्त्र है । तब वे अपने उत्पाद की कीमत इतनी कम क्यों रखना चाहते हैं ।

गुजरात अपार पॉलीमर लिमिटेड, जिसे पहले अपार कहा जाता था, ने अपने विभिन्न अनेक कारोबार को पुनर्गठित कर उन्हे अपार इंडस्ट्रीज लि0 के अधीन आमेलित किया है । कुछेक अन्य कारोबार में एसबीआर (हाई स्टीटीन रबड़), कंडक्टर, ट्रांसफार्मर आयल्स और अन्य विशिष्टता आयल्स इत्यादि शामिल हैं, को अपार में आमलित किया गया है । इससे उपरी खर्चों, किराया, उपयोगिताओं, ब्याज इत्यादि में कमी आई है । पिछले तीन वर्षों में अपार के मूल्य ह्रास तथा ब्याज लागत में भी कमी आई है ।

परिणामतः अपार की उत्पादकता और क्षमता उपयोग में भी वृद्धि हुई है ।

4. जेएसआर से एनबीआर के आयातों की मात्रा में तेजी से गिरावट आई है और उनका बाजार हिस्सा 10,000 मी0 टन की कुल मांग की तुलना में इस समय केवल 5 % है जबकि अपार का हिस्सा 50 % से अधिक है ।

5. मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के कारण ओ रिंग्स, आयल सील, हाउज, प्रिंटिंग रोलर, गैसकैटस, एप्रॉन्स इत्यादि जैसी उच्च गुणवत्ता वाली परिष्कृत वस्तुओं का आयात चीन, ताईवान, कोरिया, पूर्वी यूरोप जैसे देशों से भारी मात्रा में होना शुरू हो गया है और भारतीय उपभोक्ता उद्योग वहनीय कीमत पर गुणवत्ता युक्त कच्ची सामग्री के उपलब्ध न होने के कारण प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई महसूस कर रहा हैं ।

जएसआर पर लगाए गए शुल्क को जारी रखना अनुचित हागा क्योकि घरेलू उद्योग का लगभग छः वर्ष का सरक्षण प्राप्त हुआ है जिनम उन्होंने दावा किया है कि उसन गुडईयर यूएसए की नई सतत् प्रसंस्कृत प्रौद्योगिकी से अपने सयत्र का आधुनिक बनाया है और अपनी क्षमता का बढा कर 10,000 मी0 टन कर लिया है । अपार न अपन एसबीआर तथा एनबीआर के संयंत्रों का आमेलित भी कर लिया है जिसके कारण बड पैमान पर किफायतें हुई हैं ।

12. प्राधिकारी का विचारः-

अंतिम निणायक समीक्षा का निर्धारण करत समय प्राधिकारी ने क्षति स संबंधित सभी सकेतको पर विचार किया है । पाटनरोधी नियमा के पैरा (iv) अनुबध-।। में निहित प्रावधानों के अनुसार संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयाता क प्रभाव की जांच मे बिक्री मे प्राकृतिक तथा संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशो पर आय अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतो को प्रभावित करने वाल कारक इत्यादि साहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी सगत आर्थिक संकेतको तथा सूचको का आकलन शामिल होगा । उपराक्त का दखते हुए प्राधिकारी ने क्षति का निर्धाकरण करन क लिए सभी संगत सिद्धांतों की निम्नानुसार जांच की:-

(क) आयातों की मात्रा

क्र.सं.	1996-97	1997-98	1998-99	1999 से 2000 (अप्रै.99-जून.00)
डीजीसीआईएस के अनुसार अलग-अलग देश के आयात (किग्रा0)				
संबद्ध देश-जापान	8,62,195	11,09,330	6,98,005	6,17,865
अन्य स्रोत	39,80,266	39,09,932	58,38,373	73,19,861
कुल आयात (किग्रा0)	48,42,461	50,19,262	65,36,378	79,37,726
जापान ट्रेड स्टैटिक्स के अनुसार निर्यात (कि.ग्रा.)	- - -	- - -	- - -	11,23,630

(ख) मांग

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
घरेलू बिक्री (एमटी)	4140.78	3404	4003	5185.85 4147 वार्षिक)
मांग (एमटी) डीजीसीआईएस के अनुसार	8983.24	8423.26	10,539.37	13,123.57
डीजीसीआईएस के आंकड़ों के अनुसार आयात का % हिस्सा	53.9	59.5	62	60.4 %
डीजीसीआईएस के आंकड़ों के अनुसार याचिकाकर्त्ता का % हिस्सा	46.09	40.4	37.98	39.5

(ग) उत्पादन एवं क्षमता उपयोगः

स्थापित क्षमता (एमटी)	6250	6250	6250	7812.5
उत्पादन (एमटी)	4449	3785	4358	6196.69 (4957 वार्षिक)
क्षमता उपयोग %	71.18	60.5	69.7	79.31

(घ) नि0बि0प्रा0 तथा पहुँच मूल्य

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000(अप्रै-जून,00) पीओआई
उत्पाद शुल्क रहित घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (रू एमटी)		...	..	...
पहुंच मूल्य (असामान्य सौदो को छाडने के पश्चात, डीजीसीआईएस के आंकडा के अनुसार रुपए/किग्रा0)				88.32

डीजीसीआईएस के सौदे-वार आयात संबंधी आंकड़ो मे जापान से सीआईएफ मूल्य काफी कम 44.7 रूपए/किग्रा0 दर्शाए गए हैं ।

(ड.) **घरेलू उद्योग का अंतिम स्टॉकः-**

	1996-97	1997-98	1998-99	19992000(पीओआई)
अंतिम स्टॉक (एमटी)		183	279	385

1997-98 तथा 1998-99 एवं जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का अंतिम स्टाक 183 एमटी, 279 एमटी तथा 385 एमटी था । अतः अंतिम स्टाक के स्तर में वृद्धि हुई है

उपरोक्त संकेतकों से निम्नानुसार पता चलता है :-

(i) घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में कोई खास परिवर्तन नही हुआ है जो लगभग 1996-97 के स्तर पर हीं रहा है ।

(ii) पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद 1996-97 के बाद घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति में निरंतर कमी आई है ।

(iii) याचिकाकर्त्ता का बाजार हिस्सा 1996-97 में 46.09% के स्तर से घटकर जांच की अवधि में 39.5% हो गया ।

(iv) मांग मे 1998-99 की तुलना में जांच की अवधि में 24.51% तथा 1996-97 की तुलना मे जांच की अवधि में 48.08% तक की वृद्धि हुयी है । तदनुसार घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री मे वृद्धि नहीं हुई है ।

(v) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उनकी उत्पादन लागत से कम है

(vi) अंतिम स्टाक में वृद्धि हुई है ।

ज. **क्षति एवं कारणात्मक सबंध के बारे में निष्कर्ष**

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हालांकि याचिकाकर्त्ता के उत्पादन स्तर में वृद्धि हुई है किन्तु घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अन्य सभी महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों जांच की अवधि में सुधार में कमी का पता चलता है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचना जारी है

तथापि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को उस स्थिति मे पुनः क्षति पहुँचेगी यदि समान वस्तु पाटित कीमतो (जैसी स्थिति वर्तमान मामले मे है) पर बेची जाती है तथा आयात ऐसी कीमतो पर हो रहे है जो घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है । चूँकि घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक सकतकों मे सुधार नही हुआ है इसलिए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते है कि इससे पाटनरोधी शुल्क हटाने की आवश्यकता नहीं है ।

13. **अंतिम निष्कर्ष**

उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते है कि.

(क) जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एनबीआर का भारत मे सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है जिससे पाटन हुआ है

(ख) घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है,

(ग) यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो इस क्षति मे और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है

14 अतः, जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एनबीआर के आयातो पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझा जाता है । संशोधित शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध मे जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लागू होगा । पाटनरोधी शुल्क कॉलम-3 मे उल्लिखित राशि तथा आयातो के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा ।

1 देश	उत्पादक/निर्यातक का नाम	राशि (अमरीकी डालर प्रति टन)
जापान	सभी उत्पादनकर्ता/निर्यातक	2088

15 इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमाशुल्कों सहित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग द्वारा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा

16 इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी

एल.वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2001

Final Findings

Subject : Sunset Review of Anti-Dumping duty concerning import of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) originating in or exported from Japan.

No. 32/1/2000-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed subsequent to the preliminary findings:

(a) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) initiated the Sunset Review investigation of Anti Dumping Duty imposed on imports of Acrylonitile Butadiene Rubber (NBR) originating in or exported from Japan pursuant to the Final Findings notification no. 25/ADD/94 dated 19th October, 1995 and subsequent review notification no. 38/6/97/ADD dated 1st April 1999. This Sunset Review was initiated vide Notification No.32/1/2000- DGAD dated 24th October, 2000.

(b) The Designated Authoity notified the initiation of this Sunset Review vide notification no. No.32/1/2000- DGAD dated 24th October, 2000 with regard to anti-dumping investigations concerning imports of Acrylonitile Butadiene Rubber (NBR) originating in or exported from Japan and forwarded a copy of the Initiation Notification to the known interested parties, who were requested to furnish their views , if any, on the said findings within forty days from the date of the letter;

(c) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters and industry associations (whose details were made available by M/s Gujarat Apar Polymers Ltd., currently known as Apar Industries Ltd., the petitioner in the original investigations) and gave them an opportunity to make their views known in writing in according with the rule 6(2);

(d) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and consumer of NBR in India (whose details were made available by M/s Gujarat Apar Polymers Ltd., currently known as Apar Industries Ltd., the petitioner in the original investigations) and advised them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter.

(e) The Authority sent a questionnaire, to the following manufacturers of NBR in Japan, in accordance with the rule 6(4). These companies, however, have not filed response to the questionnaire:-

- M/S Nippon Zeon Company Ltd.,
  Furukawa Sogo Building,
  6-1 Marunouchi 2-chome,
  Chiyoda-ku,
  Tokyo 100
  Japan

- M/S JSR Corporation,
  2-11-24-Tsukji,
  Chuo-ku,
  Tokyo 104,
  Japan

(f) The Embassy of Japan in New Delhi was informed about the initiation of the review in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassy, alongwith a list of known exporters/producers. None of the exporters/producers, however, filed any response.

(g) A questionnaire was sent to the following importers and/or consumers of NBR in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4);

- SHREYANSHI IMPEX CORPN
  Bombay

- SICGIL INDIA LTD.
  Madras 600 002

- SIEBE INDIA P LTD.,
  Madras 600 042

- SIEMENS AUTOMOTIVES,
  Madras MGR District

- SIERRA TRADING P LTD.,
  Madras 600 044

- SIMA ELASTOMERS
  Bangalore 560 040

- SINAR MAS PULP 7 PAPER,
  New Delhi 110048
- SMITHERS OASIS P LTD.,
  Madras
- SOEX FLORA P LTD.,
  Bombay
- SONAL ROPES PVT LTD
  Bombay 400058
- SOUTHERN GROUP INDUSTRIES P LTD.
  Madras
- SRF LTD.
  Madras
- STAR POLYMERS,
  Bangalore 560 058
- STEEL & LOGISTIC CENTRE,
  Bangalore
- STERLITE INDUSTRIES LTD.,
  Bombay 400 021
- STROMTEK AUTOMATION,
  Madras 600 032
- STRUCTURAL INDIA P LTD.,
  Goa
- SUMI MOTHERSON,
  Madras 600 041
- SUNDARAM CLAYTON LTD.,
  Madras 600006
- SUNDARAM INDUSTRIES LTD.,
  Madras
- SUNFOOD CORPN
  Kollam
- SUPER OIL SEALS LTD.
  New Delhi

- SUPER SEALS INDIA LTD.,
  Faridabad
- SUPERFIL PRODUCTS LTD,
  Madras
- SUPREME INDUSTRIES LTD.,
  Bombay
- SUPREME PETROCHEM LTD.,
  Bombay
- SURENDRA SALES CORPN,
  Bombay
- SYNTHETIC PACKERS P LTD.,
  Bangalore
- T. ABDUL WAHID & CO.,
  Madras
- TAMILNADU,
  Madras
- TATA CHEMICALS LTD.,
  Bombay
- TATA INTERNATIONAL LTD.,
  Bombay
- TEXIM INTERNATIONAL,
  Madras
- TEXON UK LTD.,
  Madras
- TEXTOOL CO LTD,
  Coimbatore
- THE DAILY THANTHI,
  Madras
- THERMO KING INDIA P LTD,
  Pondicherry

- THOMSON PRESS INDIA LTD.,
  Faridabad

- TIME PACKAGING LTD.,
  Bombay

- TINNA OVERSEAS LTD
  New Delhi

- TIPCO INDUSTRIES LTD,
  Bombay

- TRACTORS & FARM EQUIPMENT LTD,
  Madras

- TRANSPORT CONTAINERS LTD,
  Bombay

- TTK MAERSK MEDICAL LTD,
  Aurangabad

- UNIFLEX CABLES LTD.,
  Bombay

- SHREYANSHI IMPEX CORPN
  Bombay

(h) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 24/9/2001. All parties presenting views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally at the time of the public hearing. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rejoinders, if any. The Authority also allowed a one-to-one hearing to the interested parties on 8/10/2001.

(i) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted and arguments made by various interested parties;

(j) The arguments raised by the petitioners and other interested parties have been appropriately dealt with in these findings;

(k) In accordance with Rule 16 supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same, have been duly considered in these findings;

(l) *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product under investigation is Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) classified under customs heading no. 4002.59 of Schedule 1 of the Customs Tariff Act, 1975 and No 4002.59 under Indian Trade Classification (based on Harmonised Commodity Description and Coding System) originating in or exported from Japan.

The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present review investigations.

The Authority confirms the findings on product under consideration as considered in the earlier final and review findings.

C. LIKE ARTICLES

3. Rule 2(d) of the anti-dumping rules specifies that "Like Articles" means an Article which is identical or alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an Article, another Article, having characteristics closely resembling those of the articles under examinations.

Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR), produced by Domestic Industry, is being treated as a Like Article to the goods imported from Japan within the meaning of the Rule 2(d). No argument has been raised by any of the interested parties with regards to the standing of Like Article.

There is no argument disputing that NBR produced by the domestic industry has characteristics closely resembling the imported product and is substitutable by the NBR imported from the subject country both commercially and technically. NBR produced by the domestic industry has been treated as Like Article to the product exported from Japan within the meaning of Rule 2(d).

In view of the above, the Authority confirms the earlier final and review investigations findings on Like Articles.

D. Domestic Industry

4. M/s Gujarat Apar Polymers Ltd., Maker Chambers III, 1st Floor, Jamnalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai 400 021 (currently known as Apar Industries Ltd. Apar House, Corporate Park, Sion-Trombay Road, Chembur, Mumbai- 400 071) was considered the Domestic Industry in the earlier notifications.

No argument has been raised by any of the interested parties with regard to the standing of Domestic Industry. The petitioner company therefore accounts for 100% of domestic production and has the required standing to file the petition under the Rules.

E.Period of Investigation:-

5. The period of investigation for the purpose of the present sunset review is 1st April 1999 to 30th June, 2000 (15 months).

F. DUMPING:-

Exporters and Producers of the Subject Goods in the Countries of Origin:-

6. None of the exporters/producers of NBR in the subject country responded to the Authority's request for relevant information.

7. Normal Value:-

None of the exporters / importers responded to the Questionnaire issued by the Authority or furnished any information relevant to the determination of dumping. The petitioner has claimed that dumping continues from Japan and has claimed normal value of NBR in Japan on the basis of prices published in the Japan Chemical Week. In view of non-cooperation from exporters, the Authority considers it appropriate to determine normal value of NBR in Japan on the basis of information contained in Japan Chemical Week. As per the extract of the Japan Chemical Week (April/May 2000), the average domestic price in Japan is Yen ***/kg (average). Considering an exchange rate of Yen/$ *** in 1999-2000, the price works out to USD ***/MT.

8. Export Price:-

None of the exporters/importers responded to the questionnaire forwarded by Authority. Therefore the export price based on information available with the Authority which is USD ***/MT (cif) has been relied upon for the purpose of the present investigation. Necessary adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland transportation and port handling and port charges have been made as per the claim of the domestic industry, to arrive at the ex-factory export price which is USD ***/MT.

9. Dumping Margin:-

Authority's Position:-

The Authority followed the consistent practice of adopting the principles governing the determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping as laid down in Annexure I to the anti-dumping rules. Dumping margin has been determined on the basis of a fair comparison of Export Price with the Normal Value in pursuance of the principle laid down in Para 6 of Annexure-1 to the Rules. The comparison is at the same level of trade, i.e. ex-factory level. The Authority has worked out a common dumping margin for all exporters from Japan in the absence of cooperation from any of the Exporters. On the basis of these calculations the Dumping Margin works out to 151.02% of net Export Price.

G. INJURY:-

10. Argument raised by domestic industry:-

(a) On volume of imports – Imports from DGCI&S do not show reasonable information with regard to export price. Information given by PPR clearly shows that the import price is much lower than the average import price shown by DGCI&S. The month-

price is much lower than the average import price shown by DGCI&S. The month-wise, port-wise information given by DGCI&S shows many abnormal entries. NBR cannot be imported at these high prices. After removing abnormal transactions, DGCI&S prices are quite close to the PPR prices. Export statistics released by Government of Japan shows import prices which are quite close to the import price shown by PPR & DGCI&S (after eliminating abnormal transactions). The volume of exports shown by the said export statistics shows much higher volumes than the import volume reflected by DGCI&S and PPR. There are lot of imports of NBR which have been cleared under customs classification meant for Other Products-such as Butadiene rubber, chloroprene rubber, etc. Lot of imports of products other than NBR have been imported under the customs classification meant for NBR.

(b) There is unutilised capacity with the domestic industry

(c) The maximum establised demand so far is 10,000/MT which includes duty free imports of about 3000-4000/MT. The available demand for the domestic industry is in the region of 6000-8000/MT which can be met by the domestic industry.

(d) Anti-dumping duties has allowed the domestic industry to continue their operations which otherwise would have been forced to close down on account of the massive losses being incurred by the domestic industry.

(c) The domestic industry has attempted to become cost competitive and have made efforts to improve the customers' satisfaction. Some of the steps taken by the domestic industry in this regard have been as follows: -

(i) The domestic industry was able to work out financial restructuring with the institutions and banks and other stakeholders to reduce the interest burden of the company.

(ii) They were able to bring out many more graves of NBR so as to increase the satisfaction of the customers. They also improved upon the attributes of the various NBR grades produced by them through their technical efforts so as to increase the value for the customers.They have further introduced newer grades through their efforts so as to tailor – fit some of the specific end requirements.

(iii) The domestic industry has recently been granted the status of Government approved R&D Centre and if funds are available they intend to invest considerably in their R&D efforts.

(iv) In the past few years the domestic industry has made many operational improvements to reduce their cost of manufacturing. They have attempted to reduce their down time and increase their up time activity. They have also reduced their costs of monomers by strong negotiations through consortium procurement along with other butadiene consumers. This has enable them to move from a higher spot rate to a lower contract rate. They have also substituted expensive imported auxiliary chemicals with cheaper substitute without lowering the quality standard. Inspite of the very substantial increase in inflation and utility rates they have still managed to keep the conversion cost within control through the above mention cost cutting measures.

(v) The domestic industry has invested further to increase its capacity and reduce its costs. This investment was made through fresh loans from the financial institutions after the restructuring. They embark on two projects – the Continuous Polymerization project and the Co – generation project – which resulted in increase capacity and lower cost.

Inspite of all these efforts taken to reduce the cost, the domestic industry has not been able to make reasonable returns to their share holders. Rather they are making losses due to dumping in the market.

11. Arguments raised by Importers/Users:-
None of the importers/exporters have responded to the questionnaire forwarded by the Authority.

Submissions made by Bombay Chemical and Rubber Products

1. M/s Bombay Chemical and Rubber Products gave written submissions pursuant to the oral hearing. They have requested that the ADD on NBR imported from JSR should be discontinued as there is no longer any injury to the domestic industry. The maximum period of 5 years expired on 14.10.2000 and the domestic industry was given additional protection for one more year in addition to the normal 5 year period.

2. The landed cost of JSR NBR has gone up drastically in comparison to Apar's prices. The prices of Apar NBR are much lower than the landed cost of JSR NBR. The price differential between the petitioners' selling price and the Japanese imported material is so huge, that commercially the market is out of bounds for Japanese imports. The cause of injury to offer does not seem to be on account of Japanese NBR and the Authority should consider whether imports from other sources are causing injury to the petitioner.

3. If imported Japanese NBR is the cause of injury to the petitioner than why is there such a vast difference between the landed price and the selling price of the petitioner. Due to reduction in import duties (from 85% in 1993-94 to 15% currently on Butadiene and Acrylonitrile which is the main raw material comprising majority cost of producing NBR) Apar is free to charge prices more or less equal to that of Japanese NBR. Than why do they choose to price their product so low ?

   Gujarat Apar Polymers Limited as APAR was formerly known has restructured and clubbed various different businesses under APAR Industries Limited. Some of the other businesses include SBR (High Styrene Rubber), Conductors, Transformer Oil's and other specialty oils etc....have been merged into APAR. This has led to reduction of overheads, rent, utilities, interest etc....Depreciation and interest costs of APAR have also come down in the last three years.

   Consequently APAR's productivity and capacity utilization have also gone up.

4. The volumes of imports of NBR from JSR has declined sharply and the market share currently is just 5% against total demand of 10,000/MT whereas Apar's share is more than 50%.

5. Due to the removal of QR's import of high quality finished goods like O rings, oil seals, hoses, printing rollers, gaskats, aprons, etc. have started coming in large quantities from countries like China, Taiwan, Korea, East Europe and the Indian user

industry is finding it difficult to compete with this due to non availability of quality raw material at an affordable price.

Continuation of duty levied upon JSR will be unjust as the domestic industry has received almost 6 years of protection in which they claim they have modernised their plant with a new continuous processed technology from Good Year USA and already increased their capacity to 10,000/MT. Also Apar has merged their SBR and NBR plants resulting in economies of scale.

12. Authority's Position:-

The Authority has taken into account all indices regarding injury while doing the final sunset review determination. As per the provisions contained in para (iv) Annexure II of the Anti-dumping Rules, the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic indicators and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity;factorsaffecting domestic prices etc. In view of the above, the Authority examined all relevant principles for determination of injury as follows:-

(a) Quantum of Imports:-

S.No.	1996-97	1997-98	1998-99	1999 to 2000 (Apr'99-June 2000)
Individual country imports(kg) as per DGCIS				
Subject Country -Japan	8,62,195	11,09,330	6,98,005	6,17,865
Other sources	39,80,266	39,09,932	58,38,373	73,19,861
Total imports (kg)	48,42,461	50,19,262	65,36,378	79,37,726
Exports as per Japan Trade Statistics (kg)	---	---	---	11,23,630

(b) Demand :-

	1996-97	**1997-98**	**1998-99**	**1999-2000**
Local Sales (MT)	4140.78	3404	4003	5185.85 (4147 annl.)
Demand (MT) As per DGCIS	8983.24	8423.26	10,539.37	13,123.57
Share of imports % As per DGCIS data	53.9	59.5	62	60.4%
Share of petitioner % As per DGCIS data	46.09	40.4	37.98	39.5

(c)Production and Capacity Utilisation:-

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
Installed Capacity (MT)	6250	6250	6250	7812.5
Production (MT)	4449	3785	4358	6196.69 (4957 annl.)
Capacity utilisation %	71.18	60.5	69.7	79.31

(d) NSR and landed values:-

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (Apr'99-June'00) POI
Selling prices of domestic industry (Rs/MT) net of excise duty	***	***	***	***
Landed value (as per DGCIS data, ignoring abnormal transactions) Rs/kg				88.32

DGCIS transaction-wise import details shows cif values as low as Rs 44.7/kg from Japan.

(e) Closing Stocks of Domestic Industry:-

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (POI)
Closing stocks (MT)		183	279	385

The closing stocks of domestic industry were 183MT, 279MT and 385MT during 1997-98, 1998-99 and the POI. The level of closing stocks have therefore increased.

The above indicators demonstrate the following:-

(i) There has been no significant change in sales volume of domestic industry which have remained at almost the same level as in 96-97.

(ii) The net sales realisation of domestic industry has steadily declined since 1996-97 inspite of anti-dumping duty in force.

(iii) The market share of the petitioner has declined to 39.5% in the POI from a level of 46.09% in 1996-97.

(iv) Demand has increased by 24.51% in the POI over 1998-99 and by 48.08% in the POI over 1996-97. Production and sales of the domestic industry has not increased correspondingly.

(v) The selling price of the domestic industry is below their cost of production.

(vi) Closing stocks have increased.

H. CONCLUSION ON INJURY AND CAUSAL LINK

The Authority notes that while the production level of the petitioner has increased all other vital economic indicators having a bearing on the state of the domestic industry have shown lack of improvement in the period of investigation which shows that the domestic industry continues to suffer material injury in spite of existing anti-dumping duties.

The Authority notes that it would be inappropriate to hold that the imports from the subject country would not cause injury to the domestic industry in the light of the economic parameters affecting the domestic industry. The improvement in any economic parameter could be a result of the existing anti-dumping duties. The injury to the domestic industry would, however, recur in case the product is sold at dumped prices (as the situation is in the instant case) and the imports are entering at such prices in India which are lower than the non-injurious price of the domestic industry. The Authority concludes that the improvement, if any, in the economic parameters affecting the domestic industry does not warrant removal of anti-dumping duty.

13. FINAL FINDINGS:-

The Authority after considering the foregoing, concludes that:

(a) NBR originating in or exported from Japan has been exported to India below normal value, resulting in dumping;

(b) the domestic industry is suffering injury;

(c) the injury may intensify if anti-dumping duty is removed.

14. It is therefore considered appropriate to recommend continuation of the anti-dumping duties in force on imports of NBR originating in or exported from Japan. The revised duties may come into force from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. The anti-dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in Col. 3 and the landed value of imports:

1. Country	2. Name of Producer/Exporter	3. Amount (USD/MT)
Japan	All producers/exporters	2088

15.Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

16. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.